



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 10 अगस्त, 2025

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना अरनिया

शातिर हिस्ट्रीशीटर बदमाश के साथ थाना अरनिया पुलिस टीम की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09.08.2025 की रात्रि को थाना अरनिया पुलिस टीम ईशानपुर अण्डर पास पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति खुर्जा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकने का इशारा किया गया, नही रुका तथा बाइक को तेजी से मोड़कर हजरतपुर पूठरी की तरफ जाने वाले बम्बे की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा कर घेराबंदी की गयी तो अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। **घायल बदमाश की पहचान राकेश उर्फ बकरा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम जरारा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है।** घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जोकि थाना अरनिया का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। उक्त बदमाश लगभग 10 वर्ष से लापता था और अपना ठिकाना बदल-बदल कर अपराध कर रहा था। प्राथमिक पूछताछ में बदमाश के विरुद्ध करीब 30 से अधिक अभियोग पंजीकृत होने की बात सामने आई है, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, नकबजनी आदि प्रमुख है। मा० न्याया० द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कई मामलों में गैर जमानतीय वारंट भी जारी किये गये हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राकेश उर्फ बकरा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम जरारा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस।

2- 01 बाइक स्प्लैन्डर(बिना नम्बर)

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ बकरा का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं 222/02 धारा 392/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 2- मुअसं 223/02 धारा 307 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 3- मुअसं 245/02 धारा 25 आयुध अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 4- मुअसं 158/03 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 5- मुअसं 301/03 धारा 459/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 6- मुअसं 164/04 धारा 3 गुण्डा अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 7- मुअसं 70/05 धारा 10/11 गुण्डा अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 8- मुअसं 23/07 धारा 379/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 9- मुअसं 84/07 धारा 379 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 10- मुअसं 165/03 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 11- मुअसं 179/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ।
- 12- मुअसं 332/25 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना अतरौली जनपद हरदोई ।
- 13- मुअसं 64/23 धारा 457/380/411/414 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 14- मुअसं 66/23 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 15- मुअसं 510/17 धारा 395/412 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 16- मुअसं 548/17 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 17- मुअसं 550/17 धारा 5/7 आयुध अधि० थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 18- मुअसं 352/22 धारा 380 भादवि थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़।

- 19- मुअसं 357/22 धारा 457/380 भादवि थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़।
- 20- मुअसं 42/17 धारा 394/427 भादवि थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़।
- 21- मुअसं 04/23 धारा 136 विद्युत अधि० थाना बरला जनपद अलीगढ़।
- 22- मुअसं 18/16 धारा 395/397/412 भादवि थाना लोधा जनपद अलीगढ़।
- 23- मुअसं 27/16 धारा 395/412 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 24- मुअसं 48/16 धारा 392/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 25- मुअसं 84/16 धारा 25 आयुध अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 26- मुअसं 85/16 धारा 41/102 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 27- मुअसं 104/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
- 28- मुअसं 372/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना गुन्नौर जनपद सम्भला।
- 29- मुअसं 373/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना गुन्नौर जनपद सम्भला।
- 30- मुअसं 630/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना बहजोई जनपद सम्भला।
- 31- मुअसं 301/03 धारा 380 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 32- मुअसं 305/03 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 33- मुअसं 306/03 धारा 379/411 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री राजकुमार सिंह थानाध्यक्ष अरनिया
2. उ०नि० आर.के. गौतम, उ०नि० केदारनाथ राय, उ०नि० अभिषेक मिश्रा।
3. है०का० राजकुमार, है०का० योगेश, का० ऋषि कुमार।



मीडिया सेल बुलन्दशहर